रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 1980/वैशाख 9, 1902
No. 76] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 1980/VAISAKHA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

GOVT OF INDIA

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं. 14-आईटीसी (पीएन)/80

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1980

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय :—अग्न्यस्त्र का आयात

मिसिल संख्या आई. पी. सी. 25/4/80-81.—अप्रैल, 1979—मार्च 1980 के लिए आयात-नीति के अनुसार राज्य व्यापार निगम ने सारणीबद्ध करने वाली एजेन्सी के रूप में अग्न्यस्त्र का आयात किया है । ये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र व्यक्तियों को ही बेचे जाएंगे । यह निश्चय किया गया है कि जिन व्यक्तियों ने इस व्यवस्था के अन्तर्गत अग्न्यस्त्रों का आयात किया है, उन व्यक्तियों

को यह अग्न्यस्त्र खरीदने की तारीख से लेकर दो वर्षों की अवधि के लिए उन अग्न्यस्त्रों को बेचने की अनुमति नहीं होगी । सम्बन्धित अस्त्र लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित अग्न्यस्त्र लाइसेंस में इस सम्बन्ध में एक पृष्ठांकन किया जाएगा । इसलिए, अग्न्यस्त्र व्यापारी इस प्रकार की बिक्री की सूचना सम्बन्धित अस्त्र प्राधिकारियों को विशेष रूप से दे दें ।

सी. वेंकटरामन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 14-ITC(PN)/80

New Delhi, the 29th April, 1980

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Import of fire arms.

F. No. IPC/25/4/80-81.—In terms of Import Policy for April 1979—March, 1980, STC has imported fire arms as a canalising agency. These will be disposed of to eligible persons in accordance with the prescribed procedure. It has been decided that persons obtaining the imported fire arms under these arrangements shall not be allowed to dispose of the same for a period of two years from the date of purchase of the fire arm. A suitable endorsement to this effect shall be made by the Arms Licensing Authority concerned on the relevant Arms Licence. The Arms Dealers should, therefore, pointedly bring such sales to the notice of the Arms Licensing authorities concerned.

C VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.